न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी अयूब खान आर ए एस

राजस्व वाद सख्या 285/2009

वादीगण :–

01. श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी श्री मुकेश अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी पाल लिंक रोड, जोधपुर।

02. श्रीमती तीजकंवर धर्मपत्नी श्री मोतीलाल जी अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी पाल लिंक रोड, जोधपुर।

03. श्रीमती कविता देवी धर्मपत्नी श्री गोविन्दराम जी जनवानी, निवासी पावटा सी रोड, जोधपुर।

04. श्रीमती कमला धर्मपत्नी श्री भागीरथसिंह जी जाति जाट, निवासी ग्राम बलारा तहसील लक्षमणगढ, जिला सीकर।

सभी वादीगण जरिये आम मुख्तयार श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल जी अग्रवाल, निवासी पाल लिंक रोड, जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

01. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जी जाति राजपुत, निवासी बासनी बाघेला, तहसील लूणी व जिला जोधपुर।

02. हयग्रीवसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी बासनी बाघेला, तहसील लूणी व जिला जोधपुर।

03. श्रीमती कृष्णा कुमारी धर्मपत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी बासनी बाघेला, तहसील लूणी व जिला जोधपुर।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :–

01. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

02. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

दिनांक :.15.12.2017...

–:: निर्णय ::–

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

01. हमने अधिवक्ता वादी की बहस सूनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अनुसार सक्षिप्त रूप में कथन इस प्रकार से है

02. कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बासनी बाघेला के खसरा नम्बर 30/2 की 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 31/2 की 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 मी. की 1 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 33मी. की 16 बिस्वा कुल 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी की है एवं उक्त भूमि पर वादीगण खातेदार की हैसियत से काबिज है। भूमि को संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है। भूमि के पूर्व में जोधपुर–पाली सडक, पश्चिम में अन्य भूमि, उत्तर में रामराज सोनी की भूमि व खसरा नम्बर 34 की भूमि व दक्षिण में अंहिसा रिसोर्ट के पडौस वर्णित किये।

03. कि वाद में यह भी वर्णित किया कि खसरा नम्बर 30 की 1 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 31 की 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के खातेदारी की थी, महेन्द्रसिंह ने खसरा नम्बर 30 की 1 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 31 में से 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा लक्ष्मीनारायण पुत्र मदनलाल जी माहेश्वरी वगैरा को विक्रय की एवं बेचाननामा का यह दस्तावेज दिनांक 10.06.93 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 1028 के पृष्ठ संख्या 92 के कम संख्या 1884 पर पंजीबद्ध किया गया। इस बेचान के साथ एक नक्शा भी संलग्न किया गया, जिसमें विक्रयसुदा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि को अलग से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 32 की 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी हयग्रीवसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह व श्रीमती कृष्णाकुमारी धर्मपत्नी महेन्द्रसिंह की खातेदारी की थी, इन्होंने खसरा नम्बर 32 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 33 में से 16 बिस्वा भूमि कुल 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा महेश पुत्र भंवरलाल जी माहेश्वरी वगैरा को विक्रय की। यह बेचाननामा उप–पंजीयक (प्रथम) के कार्यालय में पंजीबद्ध किया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

गया। बेचाननामा के साथ नक्शा भी संलग्न किया गया जिस नक्शे पर प्रतिवादी हयग्रीवसिंह, महेन्द्रसिंह व कृष्णा कुमारी के हस्ताक्षर है।

04. कि उक्त बेचाननामा की पालना में केतागण के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात केतागण लक्ष्मीनारायण वगैरा व महेश वगैरा ने अपनी खरीदसुदा 4 बीघा 19 बिस्वा व 2 बीघा 4 बिस्वा कुल 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा वादीगण को विकय की एवं बेचाननामा का यह दस्तावेज दिनांक 17.12.04 को पंजीबद्ध हुआ एवं माफिक बेचान वादीगण के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत किया हो गया।

05. कि वाद में यह भी वर्णित किया गया कि उक्त भूमि के सीमांकन के लिए तहसीलदार ने आदेश दिया एवं सीमांकन हेतु मौके पर गये तो प्रतिवादीगण झगडा करने लगे एवं पुलिस थाना बासनी में मुकदमा दर्ज करवा दिया तथा वादीगण के चौकीदार बुद्धाराम के साथ मारपीट की एवं जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया।

06. कि इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद में अपनी खरीदसुदा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो भूमि वादीगण ने प्रतिवादीगण ने जिन व्यक्तियों को भूमि विकय की थी, उनसे खरीदने का कथन करते हुए यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये एवं उनकी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादीगण ने यह आपत्ति की कि मिस जोईन्डर आफ कॉज आफ एक्शन के कारण दावा चलने योग्य नहीं है एवं वाद कारण पैदा नहीं होने के कारण भी दावा चलने योग्य नहीं है, जिन व्यक्तियों से वादीगण ने भूमि खरीद की, उनको पक्षकार नहीं बनाया इसलिए भी दावा चलने योग्य नहीं है। वादीगण का कब्जा नहीं है इसलिए भी दावा चलने योग्य नहीं है। महेश, लक्ष्मीनारायण वगैरा को भूमि बेचने का हक नहीं था, म्युटेशन से वादीगण को हक प्राप्त नहीं होते है। प्रतिवादीगण ने जो बेचान किया वह बेचान कभी भी अमल में नहीं आया तथा तथाकथित

सहायक कलेक्टर एवं ... उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

बिकी पत्र भी अमल में नहीं आया। अंत में प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया।

07. कि दोनों पक्षो की साक्ष्य के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई :–

(1) आया मौजा बासनी बाघेला तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 30/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 31/2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 मी. रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 मी. रकबा 16 बिस्वा कुल 7 बीघा 3 बिस्वा जो वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, वादीगण के कब्जे, काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की पाने का अधिकारी है?

(2) आया वादी ने एक से अधिक वाद कारण पैदा होने से, प्रत्येक प्रतिवादी का उत्तरदायित्व भी वादी ने नहीं दर्शाया है, इसलिए मिस जाईन्डर आफ कॉज आफ एक्शन व मिस जाईन्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने से वाद चलने योग्य है?

(3) आया वादी का वादग्रस्त आराजी पर काबिज नहीं होने से वाद नहीं चल सकता?

(4) अनुतोष?

08. कि वादीगण की ओर से साक्ष्य में वादीगण का आम मुख्तयार मुकेश अग्रवाल ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जिरह की तथा वादी का गवाह पीडब्लू 2 बुद्धाराम, पीडब्लू 3 रामाकिशन, पीडब्लू 4 मोडाराम ने साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिनसे भी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जिरह की। दस्तावेजी साक्ष्य में आम मुख्तयारनामा प्रदर्श 1, जमाबंदी प्रदर्श 2, वाद के साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श 3, बेचाननामा महेन्द्रसिंह बहक लक्ष्मीनारायण वगैरा प्रदर्श 4, बेचाननामा हयग्रीवसिंह, महेन्द्रसिंह एवं कृष्णाकुमारी बहक महेश वगैरा प्रदर्श 5, बेचाननामा श्याम वगैरा बहक कविता देवी वगैरा (वादीगण) प्रदर्श 6, प्रतिवादीगण महेन्द्रसिंह वगैरा ने बेचाननामा के साथ जो नक्शा

Scanned by CamScanner

संलग्न किया वह प्रदर्श 7 के रूप में प्रदर्शित किया तथा इनकी फोटो प्रतियों पर भी प्रदर्श के आगे "ए" अंकित करते हुए प्रदर्श लगाया गया।

09. कि प्रतिवादीगण की ओर से डीडब्लू 1 हयग्रीवसिंह का साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जिससे वादीगण के अधिवक्ता ने जिरह की। डीडब्लू 2 प्रदीपसिंह का साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 21.11.12 को प्रतिवादी डीडब्लू–1 से जिरह होने के पश्चात पत्रावली प्रतिवादीगण की अन्य साक्षीयों के लिए नियत थी। उसके पश्चात दिनांक 14.12.16 तक प्रतिवादीगण की साक्ष्य के लिए अनेक बार पत्रावली नियत की गई लेकिन प्रतिवादीगण का कोई गवाह उपस्थित नहीं आया। दिनांक 14.12.16 को प्रतिवादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी का गवाह दोनों ही गैर हाजिर रहने पर उन्हें अंतिम अवसर देते हुए पत्रावली दिनांक 22.12.16 को नियत की गई। दिनांक 22.12.16 को भी प्रतिवादी एवं उनके गवाह अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए पत्रावली दिनांक 13.01.17 को रखी गई। उसके पश्चात दिनांक 13.01.17 से पत्रावली दिनांक 18.01.17 को नियत की गई एवं दिनांक 18.01.17 को वकील प्रतिवादी तथा उनके गवाह गैर हाजिर रहने पर उनकी साक्ष्य बंद करते हुए पत्रावली दिनांक 27.01.17 को अंतिम बहस के लिए नियत की गई। अंतिम बहस के लिए भी काफी बार तारीख पेशीयां दी गई, उसमें भी प्रतिवादी या उनके कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये, जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या 1 व 3

10. कि तनकी संख्या 1 व 3 इस आशय की है कि क्या वादीगण का कब्जा है एवं क्या वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? दोनो तनकियात परस्पर संबंधित है, जिसका निस्तारण एक साथ करना ही उचित है।

11. कि पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वादग्रस्त भूमि पहले प्रतिवादीगण की खातेदारी की थी। प्रतिवादी महेन्द्रसिंह ने

सहायक ... लूणी (जोधपुर) राज.

अपने हक, हिस्से की कुल 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि लक्ष्मीनारायण वगैरा को विक्रय की, जो बेचाननामा प्रदर्श 4 के रूप में प्रदर्शित हुआ है तथा प्रतिवादी हयग्रीवसिंह, महेन्द्रसिंह एवं कृष्णा कुमारी ने बेचाननामा प्रदर्श 5 के जरिये 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा महेश वगैरा को विक्रय की। इन दोनों बेचाननामों में प्रतिवादीगण ने विक्रयसुदा भूमि का कब्जा खरीददारों को सौंपे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। इन दोनों बेचाननामों के खरीददारान ने उक्त खरीदसुदा कुल 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा वादीगण श्रीमती कवितादेवी, श्रीमती तीजकंवर, श्रीमती कमला, श्रीमती कमलेश को विक्रय की। इस बेचाननामा में भी कब्जा केतागण/वादीगण को सुपुर्द करने का उल्लेख है। प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डीडब्लू 1 हयग्रीवसिंह ने अपनी जिरह में उक्त बेचाननामा पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर, अपनी माता कृष्णा कुमारी के हस्ताक्षर एवं अपने पिता महेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त बेचाननामा प्रदर्श 4 व प्रदर्श 5 पर मैंने, मेरी माता जी व पिता जी ने हस्ताक्षर राजी–खुशी किये थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि इन बेचाननामों में कब्जा देने एवं प्रतिफल की राशि देने का भी उल्लेख है। हालांकि गवाह ने आगे यह कहा कि उसे प्रतिफल की राशि प्राप्त नहीं हुई लेकिन रजिस्टर्ड बेचान के खिलाफ गवाह का यह मौखिक कथन महत्व नहीं रखता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में कि यदि बेचान के प्रतिफल की राशि नहीं प्राप्त होती तो प्रतिवादीगण की ओर से बेचाननामा को निरस्त करने की कार्यवाही अवश्य की जाती। प्रतिवादीगण की ओर से जो रजिस्टर्ड बेचाननामा लिखा गया है वह आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, न ही प्रतिवादीगण ने कभी रजिस्टर्ड बेचाननामा को चुनौती दी है। वादीगण की ओर से गवाह मुकेश अग्रवाल पीडब्लू 1, पीडब्लू 2 बुद्धाराम एवं पीडब्लू 3 रामाकिशन ने वादीगण के कथनों की पुष्टि की है तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की एवं कब्जे की होने बाबत बयान दिये है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

12. कि प्रतिवादी ने पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करवाने एवं इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच करने एवं चोट प्रतिवेदन के संबंध में प्रदर्श डी 1 से प्रदर्श डी 5 लगाये है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा जो स्वयं प्रतिवादीगण की ओर से निष्पादित है, उसको देखते हुए पुलिस की कार्यवाही इस प्रकरण पर कोई महत्व नहीं रखती है, न ही कोई विपरित प्रभाव पडता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की एवं कब्जासुदा होना साबित है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 व 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 2

13. कि तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था कि वादी को वाद कारण पैदा नहीं होता है। इस संबंध में स्वयं प्रतिवादीगण वादी के हक से इंकार कर रहे है, इसलिए वाद कारण पैदा होता है एवं मिस जाईन्डर आफ कॉज आफ एक्शन व मिस जाईन्डर ऑफ पार्टीज का भी कोई दोष वाद में नहीं है, क्योंकि जमाबंदी में दर्ज खातेदार व खरीददार वादीगण के रूप में पक्षकार है एवं जिन व्यक्तियों के विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा चाहते है वे प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार है इसलिए इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों का कोई दोष नहीं है इसलिए उक्त तनकी का निर्णय भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

14. कि तनकी संख्या 1 व 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में होने के कारण वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे है। वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम बासनी बाघेला के खेत खसरा नम्बर 30/2 की 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 31/2 की 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 मी. की 1 बीघा 8 बिस्वा [illegible] खसरा नम्बर 33मी. की 16 बिस्वा कुल 7 बीघा 3 बिस्वा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

भूमि जिसे वाद के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है, में वादीगण के कब्जा, काश्त एवं उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो स्वयं करे, न अपने आदमी, एजेन्टो से करावे, न ही मौके पर वादीगण के उपयोग–उपभोग में कोई रूकावट या बाधा पैदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(अयूब खान)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक.15.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अयूब खान)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner